9077
17/8/17

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: ***संकल्प*** ::

कृपया पढ़ें :–

1. उपायुक्त, रामगढ़ का ज्ञापांक–2439/जि0ग्रा0, दिनांक 09.11.2012 एवं पत्रांक–1437/जि0ग्रा0, दिनांक 26.10.2013
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–13471, दिनांक 06.12.2012, पत्रांक–1333, दिनांक 11.02.2013, संकल्प सं0–194, दिनांक 08.01.2014 एवं संकल्प सं0–412, दिनांक 19.01.2016
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–520, दिनांक 30.12.2016

श्री अजय कुमार तिर्की, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–740/03, गृह जिला–राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातु, रामगढ़ के विरूद्ध उपायुक्त, रामगढ़ के ज्ञापांक–2439/जि0ग्रा0, दिनांक 09.11.2012 द्वारा प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र– 'क' में श्री तिर्की के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित है कि पतरातू प्रखण्ड अन्तर्गत मनरेगा कार्यक्रम के तहत् 48 कूप एवं 11 मिटटी मोरम पथ निर्माण योजना का कार्यान्वयन बिना प्रशासनिक स्वीकृति के किया गया, जिसमें कुल रू0 34,31,311/– रूपये व्यय किया गया।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–13471, दिनांक 06.12.2012 द्वारा श्री तिर्की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया, जिसके अनुपालन श्री तिर्की ने पत्रांक–34, दिनांक 17.01.2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री तिर्की से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–1333, दिनांक 11.02.2013 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ से मंतव्य की माँग की गयी तथा मंतव्य अप्राप्त रहने पर स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात् उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक–1437/जि0ग्रा0, दिनांक 26.10.2013 द्वारा श्री तिर्की के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री तिर्की के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, रामगढ़ के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0–194, दिनांक 08.01.2014 द्वारा श्री तिर्की के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक

कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सिन्हा की सांविदिक अवधि समाप्त होने के पश्चात विभागीय संकल्प सं0–412, दिनांक 19.01.2016 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–520, दिनांक 30.12.2016 द्वारा श्री तिर्की के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। श्री तिर्की विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत, श्री अजय कुमार तिर्की, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातु, रामगढ़, सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को **भविष्य के लिये सचेत** किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अजय कुमार तिर्की, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17/08/17

(ओम प्रकाश साह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–47/2014 का०–9071/राँची, दिनांक 17 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची/उपायुक्त, रामगढ़/उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अजय कुमार तिर्की, झा0प्र0से0, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/08/17

सरकार के उप सचिव।